न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 22/2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अजीत कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल निवासी सिंघल मौहल्ला, वार्ड नं. 19, बांदीकुई विक्रेता मालिक मैसर्सः— विजय कुमार अजीत कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.10.2018 को दोपहर बाद 02:10 बजे मैसर्सः— विजय कुमार अजीत कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अजीत कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल निवासी सिंघल मौहल्ला, वार्ड नं. 19, बांदीकुई (विक्रेता मालिक) उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना प्ररिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में लकडी के रैक में खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** 335 ग्राम वजनी के 50 पॉली पैक पैकिट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 4 पॉली पैक 335 ग्राम **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** खरीदा। जिनकी कीमत 140 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 पॉली पैक 335 ग्राम **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** के पैकिटों पर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता (एफ.बी.ओ.) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2012 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार— चार जगह से चपडी से सील मोहर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1702/एक्ट/2018/389 दिनांक 15.11.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित रहा।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1702/एक्ट/2018/389 दिनांक 15.11.2018 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** के सैम्पल के लेबल पर निम्न जानकारी अंकित नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड बताया गया है।

1. **"Permitted Flavour used given on the label of sample but the class/type of permitted flavor used in the product not mentioned on the label of sample"**
2. **Batch No. not given**
3. **Date of Mfg./Pkg. not given**
4. **Nutritional Information Not given**
5. **Net Quantity Not given**
6. **FSSAI License No. not given**

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने **FSSA** 2006 के रेगुलेशन नं. 2.2.1(7), 2.2.2(5)(ii), 2.2.2(3), 2.2.2(7), 2.2.2(8) एवं 2.2.2(9) (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) का उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड बताया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1702/एक्ट/2018/389 दिनांक 15.11.2018 के अनुसार उक्त

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** के लेबल पर जानकारी अपूर्ण अंकित होने के कारण **FSSA** 2006 के (पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionary (Daily Milk)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री अजीत कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल निवासी सिंघल मौहल्ला, वार्ड नं. 19, बांदीकुई विक्रेता मालिक मैसर्सः– विजय कुमार अजीत कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई पर 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.09.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 1896- 1898 दिनांकः– 13 .09.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अजीत कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल निवासी सिंघल मौहल्ला, वार्ड नं. 19, बांदीकुई विक्रेता मालिक मैसर्सः– विजय कुमार अजीत कुमार, अस्पताल रोड, बांदीकुई।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official